

12 ⁰⁶/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.)
वकील वादी ने अवगत कराया कि
प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का
बेचान कर दिया है। तथा प्रकरण में
वर्णित खसरो की अद्यतन जमाबंदी में
भी प्रार्थी का नाम नहीं है। जिससे
वकील वादी ने प्रकरण में Not Press
किया। लिखाजा प्रकरण Not Press में
स्वार्ज किया जाता है। पत्रावली फेसल
शुमार लेकर नंबर से कम हो।

NOT

PREES



Adv.



3
सहायक कमिश्नर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली